न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
110/2017	20.09.2017	05.12.2022

उनवान

1. दीनदार पुत्र श्री भुल्ला खां
2. दीनमोहम्मद पुत्र श्री भुल्ला खां
3. अलीमोहम्मद पुत्र श्री भुल्ला खां
4. शमशादअली पुत्र श्री भुल्ला खां कौम मेव निवासीयान ग्राम टहटडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

:— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब (भूमिधारी अधिकारी) किशनगढ़बास तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।
2. जुहरू पुत्र श्री नबी खां जाति मेव निवासी ग्राम टहटडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।
3. शांति देवी पत्नी रोशनलाल जाति खत्री निवासी खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।
4. रूजनी पत्नी स्व0 श्री आमीन पुत्रवधू स्व0 श्री नजबू जाति मेव निवासी ग्राम टहटडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

:— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक अंतर्गत धारा 88, 89
मय हुक्मइम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. वादीगण की ओर से श्री तैय्यब खान जी वकील।
2. प्रतिवादीगण की ओर से श्री खुर्शीद जी वकील।

5/12/22

निर्णय

प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार है:–

वादीगण ने अपना वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या हाल 372 रकबा 0.1000हे0 जिसके साबिक नंबर 236 मिन रकबा 0–08 बिस्वा वाके ग्राम टहटडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 में स्थित है। उक्त आराजी वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी खसरा संख्या हाल 372 रकबा 0.1000हे0 जिसके साबिक नंबर 236 मिन रकबा 0–08 बिस्वा वाके ग्राम टहटडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 बुद्वसिंह पुत्र श्री भगता सिंह जाति लबाणा सिक्ख निवासी ग्राम टहटडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर को दिनांक 20/06/1968 को अलोट हुई थी, जिसकी सनद् नंबर 592(68) है। वक्त अलोटमेन्ट उक्त आराजी की बाबत राजस्व विभाग द्वारा आराजी खसरा नंबर 379/236 रकबा 0–09 बिस्वा दर्ज किया गया, तथा आवटी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया गया। उक्त आराजी विवादित बुद्वसिंह को अलोट होने के बाद बुद्वसिंह ने उक्त विवादित आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 जुहरू पुत्र नबी खां जाति मेव निवासी टहटडा तहसील किशनगढ़बास को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 26/11/1973 को कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त आराजी का बयनामा आवंटी पट्टेदार बुद्वसिंह से अपने हक में करा लिया , जो बयनामा अलोटमेंट द्वारा जारी खसरा नंबर से करवाया गया है, किंतु उक्त बयनामा से सहबन व भूलवश खसरा नंबर 379/226 दर्ज कर दिया गया, जबकि आवंटन के समय खसरा नंबर 379/236 जारी किया गया था। बयनामा कराने के बाद मूल आवंटी बुद्वसिंह बिला औरत बिला संतान फोत हो गया तथा आराजी पर वक्त खरीद के दिन से प्रतिवादी संख्या 2 काबिज रहकर काश्त करता रहा। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त बयनामा दिनांक 06/06/1975 को प्रतिवादी संख्या 3 के हक में पंजीबद्व करवा दिया, जो बयनामा भी अलोटमेंट द्वारा जारी खसरा नंबर के आधार पर किया गया। किंतु उक्त बयनामा में भी सहबन भूलवश खसरा नंबर 379/226 दर्ज कर दिया गया, तथा इसके बाद प्रतिवादीया संख्या 3 ने उक्त आराजी के हाल नंबर 372 रकबा 0–08 बिस्वा का बयनामा दिनांक 08/08/1980 को वादीगण के हक में पंजीबद्व करा दिया तथा वक्त खरीद के दिन से उक्त आराजी पर वादीगण शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करते रहे हैं। मूल आवंटी बुद्वसिंह को सनद् संख्या 592(68) जारी करते समय खसरा नंबर 379/236 जारी कर मूल आवंटी बुद्वसिंह को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया था, किंतु मूल आवंटी द्वारा करवाये गए बयनामें में सहबन व भूलवश खसरा नंबर 379/236 के स्थान पर खसरा नंबर 379/226 दर्ज कर दिया गया, जबकि वास्तविक खसरा नंबर 379/236 जारी हुआ था, जिस खसरा नंबर का बेचान मूल आवंटी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को किया गया था तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बयनामामें दर्ज खसरा नंबर 379/226 को नंबर सहबन व भूलवश दर्ज कर बयनामा प्रतिवादीया संख्या 3 के हक में करवा दिया था तथा इसके बाद सेटलमेंट विभाग द्वारा

5/12/22

खसरा नंबर 236 मिन रकबा 0–08 बिस्वा का हाल नंबर 372 रकबा 0–08 बिस्वा कायम कर दिया, जो अंकन मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 में दर्ज हो रहा है तथा मिन नंबर 236 जो मूल अलोटी बुद्धसिंह को जारी खसरा नंबर 379/236 में से सेटलमेंट विभाग द्वारा कायम किया गया है। तथा मिन नंबर 236 मिन के हाल नंबर 372 रकबा 0–08 बिस्वा कायम होने पर प्रतिवादीया संख्या 3 द्वारा हाल नंबर के आधार पर वादीगण को आराजी का बेचान बेबाक कीमत प्राप्त कर करा दिया। तथा वक्त खरीद के दिन से वादीगण उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। ग्राम टहटडा में आराजी खसरा नंबर 379/226 वाके ग्राम टहटडा कायम ही नहीं किये गये, ना ही उक्त खसरा नंबर वजूद में है, जिससे साबित होता है कि खसरा नंबर 379/236 मूल अलोटी बुद्धसिंह को आवंटित हुआ तथा बुद्धसिंह ने अपनी अलोटशुदा आराजी का ही बेचान किया है। बुद्धसिंह के नाम जमाबंदी संवत् 2019 में नाम दर्ज हो रहा है। साबिक नंबर 236 मिन रकबा 0–08 बिस्वाके हाल नंबर 372 रकबा 0.10हे0 वाके ग्राम टहटडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर कायम हुए हैं। तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में अलोटी बुद्धसिंह पुत्र भगतसिंह सा0 देह गैर खातेदार बकाश्त नजबू पुत्र छुट्टन मेव सा0 शिकमी साल 3 का अंकन हो रहा है, जो अंकन सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत किया गया है। जबकि बुद्धसिंह ने उक्त आराजी का बयनामा प्रतिवादी सं0 2 के हक में पंजीबद्ध करा दिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने बयनामा प्रतिवादी सं0 3 के हक में पंजीबद्ध करा दिया तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त आराजी का बयनामा हाल खसरा नंबर से वादीगण के हक में पंजीबद्ध करा दिया तथा मूल अलोटी बुद्धसिंह बयनामा कराने के बाद लावल्द बिला औरत फोत हो गया है तथा वादीगण उक्त आराजी पर वक्त खरीद के दिन से काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा नजबू पुत्र छुटना का उक्त आराजी से अथवा आराजी की कब्जा काश्त से अथवा आराजी के किसी जुज से किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं रहा है। नजबू का स्वर्गवास हो गया तथा नजबू के एकमात्र वारिस पुत्र आमीन हुआ तथा आमीन का भी स्वर्गवास हो गया, आमीन के मात्र विवाहिता पत्नी रूजनी प्रतिवादी सं0 4 है, जिसका उक्त आराजी से अथवा आराजी कब्जा काश्त से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादीगण के हक में प्रतिवादीया संख्या 3 द्वारा बयनामा भी नियमानुसार बेबाक कीमत प्राप्त कर पंजीबद्ध करवाया हुआ है तथा उक्त आराजी पर वादीगण काश्त कर रहे हैं। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत तरीके से वादीगण के हक हकूकों के विपरीत बिला मौका व कब्जा की जाँच किये तथा बिना दस्तावेज बयनामों की जाँच किये हाल राजस्व रिकॉर्ड में मृतक बुद्धसिंह पुत्र भगतसिंह के नाम का अंकन बतौर गैरखातेदार बकाश्त नजबू पुत्र छुट्टन में दर्ज कर दिया, जो वादीगण के हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर है जबकि उक्त आराजी वादीगण द्वारा जरिये बयनामा खरीद की हुई है।

वादीगण जो कि सीधे सादे ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं, जिनको राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वादीगण ने बयनामा कराने क बाद सोचा कि उक्त आराजी रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज हो गयी है तथा वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नहीं होने व वादीगण के सीधे व ग्रामीण परिवेश का होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत अंकन का कतई ज्ञान नहीं था। वादीगण अपनी उक्त खरीदशुदा विवादित आराजी पर कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए दिनांक 01/08/2017 को हल्का पटवारी से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल प्राप्त करने के लिए मिले, हल्का पटवारी से संपर्क कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब वादीगण की जानकारी में आया कि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का बयनामा द्वारा आराजी खरीद का अंकन का इन्द्राज अमल दरामद नहीं हुआ है तथा राजस्व रिकॉर्ड में मृतक बुद्धसिंह बकाश्त नजबू का गलत अमल अभी तक चला आ रहा है जिस पर वादीगण ने दिनांक 02/08/2017 को प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से संपर्क किया और राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत अंकन को दुरुस्त करने व वादीगण के नाम आराजी की खातेदारी घोषित करने व सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने के लिए निवेदन किया, किंतु प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत अंकन को दुरुस्त करने से इन्कार कर दिया, जिस पर वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 से मिलकर संपर्क किया और राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत अंकन को दुरुस्त कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये तथा बाला–बाला गलत अंकन के आधार पर आराजी को दीगर को रहन, बय, हिबा, लिज इत्यादि से मुंतकिल करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजहद हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी, जिसके कारण वादीगण प्रतिवादीगण समस्त को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत अंकन के आधार पर आराजी विवादित को किसी दीगर को रहन, बय, हिबा, लिज इत्यादि से मुन्तकिल ना करे।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावेः–

डिक्री इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जाकर वादीगण को आराजी खसरा संख्या हाल 372 रकबा 0.1000हे0 जिसके साबिक नंबर 236 मिन रकबा 0–08 बिस्वा वाके ग्राम टहटडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 की बाबत हो रहे गलत अंकन को बुद्धसिंह बकाश्त नजबू को हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर ताहाल राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। डिक्री हुक्मइम्तनाई दवामी बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर पारित की जावे कि प्रतिवादीगण आराजी खसरा संख्या हाल 372 रकबा 0.1000हे0 जिसके साबिक नंबर 236 मिन रकबा 0–08 बिस्वा वाके ग्राम टहटडा तहसील

किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 को किसी दीगर व्यक्ति अथवा संस्था को रहन, बय, हिबा, लिज इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही वादीगण को किसी प्रकार नुकसान पहुचाए।वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करे। मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाई रखें। वादीगण को प्रतिवादीगण से खर्चा दिलवाया जावे। एवं दीगर दादरसी जो बनसीब अदालत मुनासिब समझें, वादीगण को बक्शी जावे।

दावा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जवाब सरकार की ओर से नायब तहसीलदार उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि उनका कोई राज्य हित निहित नहीं है। इससे हमारा कोई लेना–देना नहीं है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाबदावा पेश किया कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। दावा साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी ने साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू–1 स्वयं का शपथपत्र, पीडब्ल्यू–2, पीडब्ल्यू–3 पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल जमाबंदी पेश किए।प्रदर्श–1 सनद सं0 512(68) दिनांक 20.6.68, प्रदर्श–2 मिलान क्षे0 संवत 2029,प्रदर्श– 3 जमांबदी खेंवत खातौनी संवत 2012–15, प्रदर्श–4 जमांबदी खतौनी 2015–19, प्रदर्श–5 जमांबदी सवत 2070–73 , प्रदर्श– 6 बयनामा दिनांक 27.11.1973, प्रदर्श–7 रजिस्टी बयनामा दिनांक 06.06.1975, प्रदर्श– 8 बयनामा 08.08.1980 पेश किये है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 236 मिन रकबा 0.08 बिस्वा है तथा हाल खसरा नंबर 372 रकबा 0.10 हे0 बने है। नकल जमाबंदी संवत 2012 से 2015 के अनुसार फुलाखां हि0 बकाशत बुद्वा सिंह पुत्र मंगल सिह सा0 देह पुरूषार्थी साल 5 दर्ज है। तथा प्रदर्श–4 में जमाबंदी संवत 2015 से 2019 में भी बुद्वसिह मुन्दर्जे खाता नं0 74 सां0 छोटना पुत्र नबीखां मेव शिकमी साल 1 का अंकन 379/236 रकबा 0–8 बिस्वा पर अंकन हो रहा है। उसके बाद सनद सं0 592(68) 23.6.68 को बुद्वासिंह पुत्र भगता सिंह को सनद ,खाातेदारी आराजी ख0न0 379/236 रकबा 0–8 बिस्वा जारी की गई। सनद के आधार पर ही प्रतिवादी सं0 2 ने रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 26.11.1973 को बेंचान कर दिया, तथा प्रतिवादी सं0 2 ने उक्त आराजी का बयनामा आवंटी पटटेदार बुद्वसिंह सें अपने हक मे करा लिया जो बयनामा जो अलोटमेंट द्वारा जारी ख0न0 से कराया किन्तु उक्त बयनामा मे सहवन व भूलवश ख0 न0 379/226 दर्ज कर दिया गया जबकि आवंटन के समय ख0न0 379/236 जारी किया गया था। जो पत्रावली में संलग्न बयनामाजात दिनांक 26.11.1973 व 6.6.1975, व बयनामा 08.08.1980 में भी ख0न0 379/226 चला आ रहा है। जो प्रदर्श–6,7,8 है। जो गलत है। तथा ख0न0 379/236 मूल अलोटी बुद्वसिंह को आवंटीत हुआ तथा बुद्वसिह

5/12/22

ने अपनी अलोटशुदा आराजी का बेचान कर दिया है अब बुद्व सिंह का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है। लेकिन बयनामा में गलत ख0न0 होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादीगण के खरीद का अंकन नही हो पाया । अतः पत्रावली में संलग्न बयनामा एवं सनद खातेदारी के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायसगत है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 372 रकबा 0.1000 हे0 जिसके साबिक न0 236 मिन रकबा 0.18 बिस्वा वाके ग्राम टहटडा तहसील किशनगढबास जिला की बाबत हो रहे गलत अंकन बुद्वसिंह बकाशत नजबू को हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

5/2/20

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
किशनगढ़बास (अलवर)